# राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

## वाद संख्या–11/2023

## पिंकी कुमारी बनाम् श्वेता रंजन।

यह वाद श्रीमती पिंकी कुमारी, पति–श्री रंजीत कुमार, पता–मुहल्ला–न्यू पुनाईचक, वार्ड संख्या–21, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, आश्रय अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं0–101, थाना–कृष्णपुरी, जिला–पटना द्वारा श्रीमती श्वेता रंजन, पति–श्री रोहित राज, पता–46, इंदिरा भवन गली, न्यू पुनाईचक, बोरिंग कैनाल रोड, वार्ड संख्या–21, पोस्ट–पटना–01, जिला–पटना(वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–21, पटना नगर निगम) के प्रस्तावक श्री राजन कुमार के दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण उनको (श्रीमती श्वेता रंजन को) बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–115 के तहत वार्ड पार्षद के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती पिंकी कुमारी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार एवं श्री अंशुल द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती श्वेता रंजन की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम एवं श्री अवनीश कुमार द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री संजय कुमार वर्मा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना एवं श्री आशुतोष राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित Petition में यह दावा किया गया है कि पटना नगर निगम के वार्ड संख्या–21 की निर्वाचित वार्ड पार्षद, श्रीमती श्वेता रंजन के एक प्रस्तावक श्री राजन कुमार को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान है, इसके बावजूद श्री राजन कुमार नियमों के विरूद्ध श्रीमती श्वेता रंजन के प्रस्तावक बने। इस प्रकार प्रतिवादी का नामांकन कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः इसे रद्द किया जाना चाहिए एवं प्रतिवादी श्रीमती श्वेता रंजन को वार्ड संख्या–21, पटना नगर निगम के वार्ड सदस्य के पद से पदमुक्त किया जाना चाहिए।

उनके द्वारा अपने Written Statement प्रस्तावक श्री राजन कुमार द्वारा यह स्वीकार किए जाने का उल्लेख किया है कि उनकी प्रथम संतान आँचल कुमारी, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय दक्ष संस्कृत केन्द्र, हार्डिंग रोड, पटना–1 में कक्षा–4 की छात्रा है। द्वितीय संतान अमित कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर, हार्डिंग रोड, पटना में नामांकित है तथा तीसरी संतान रैना उर्फ डिंपल, आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–30, पटना सदर–02 में पंजीकृत है।

आगे उनके द्वारा वाद पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2022 के तहत अभ्यर्थी, प्रस्तावक या समर्थक को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत जन्म लेने वाले दो से अधिक जीवित संतान की स्थिति में नामांकन–पत्र रद्द कर दिया जाएगा, परन्तु प्रतिवादी एवं इनके प्रस्तावक द्वारा उक्त तथ्य को छिपा लिया गया।

आगे उनके द्वारा वाद पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी का प्रथम नामांकन–पत्र जो दिनांक–16.09.2022 को दायर किया गया था, जिसे रद्द कर दिया गया था, क्योंकि प्रस्तावक के तीन संतान थे। आगे उनके द्वारा बताया गया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रथम नामांकन–पत्र रद्द होने के उपरांत पुनः वार्ड संख्या–21 से ही दूसरी बार नामांकन दिनांक–20.09.2022 को दायर किया गया, जिसके विरूद्ध भी उनके द्वारा परिवाद दायर किया गया था इसके बावजूद वार्ड संख्या–21 के वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित हुई।

आगे उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रस्तावक एवं समर्थक पर भी अयोग्यता से संबंधित वही प्रावधान लागू होते है, जो अभ्यर्थी पर लागू होते है। अतः उनके द्वारा प्रतिवादी के निर्वाचन को चुनौती दी जा रही है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के उक्त लिखित तर्कों का लिखित प्रतिवाद दायर किया गया है तथा यह दावा किया गया है कि वादी का वाद पत्र आयोग के समक्ष Maintainable नहीं है। उनके द्वारा लिखित जवाब में बताया गया है कि उनके मुवक्किल द्वारा नियमानुसार दो प्रतियों में नामांकन–पत्र दायर किया गया था। नामांकन–पत्र की संविक्षा की तिथि–25.09.2022 एवं 26.09.2022 थी। उनके प्रथम नामांकन के प्रस्तावक मो0 हासिम बाखों के विरूद्ध परिवाद प्राप्त होने एवं सही पाए जाने पर उनका प्रथम नामांकन–पत्र रद्द कर दिया गया, जबकि नामांकन की दूसरी प्रति त्रुटिरहित पाए जाने पर स्वीकार कर लिया गया और इसके विरूद्ध किए गए, परिवाद को अस्वीकृत कर दिया गया।

उनके द्वारा आगे लिखित तर्क दिया गया है कि बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–47 के तहत निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय अंतिम है और इसको केवल और केवल बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–479(1)(a) के तहत चुनाव याचिका में ही चुनौती दी जा सकती है। उनके द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि चूँकि वादी द्वारा यह मामला पूर्व में भी निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उठाया जा चुका है। अतः निर्वाची पदाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध उन्हें सक्षम न्यायालय में अपील करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय उनके द्वारा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के नियम–115 के तहत वाद–पत्र लाया गया है, जिसके अन्तर्गत आयोग को किसी प्रकार की सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है।

आगे उनके द्वारा यह भी तर्क अंकित किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तावक राजन कुमार के तीन संतानों का दावा किया गया है, जिसमें से कुछ संतानों की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत है, परन्तु वादी द्वारा कोई भी साक्ष्य अपने दावें के समर्थन में वाद–पत्र में संलग्न नहीं किया गया है। अतः उनके द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया है कि इस प्रकार के परिवाद का जिसमें कोई साक्ष्य या आधार मौजूद नहीं हो, संज्ञान नहीं लेना चाहिए। अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी आपस में गोतनी (Sister In law) और इनमें पारिवारिक प्रतिद्वंदिता है। इसी के कारण वादी उन्हें दूर्भावना से ग्रस्त होकर परेशान करना चाहतीं है। अतः ऐसे वाद को अविलम्ब खारिज किया जाना चाहिए।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–562/निर्वा0, दिनांक–27.04.2023, द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

"वाद संख्या–11/2023 पिंकी कुमारी बनाम् श्वेता रंजन से संबंधित परिवाद–पत्र के आलोक में विस्तृत जाँच अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर द्वारा किया गया, जाँच के क्रम निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

(i) श्रीमती श्वेता रंजन के प्रस्तावक श्री राजन कुमार, साकिन–कमला नेहरू नगर, थाना–कोतवाली, पोस्ट–जी0पी0ओ0, जिला–पटना के दो बच्चे –आदित्य कुमार (जन्म तिथि–04.07.2017) और आँचल कुमारी (जन्मतिथि–13.12.2014) सरस्वती शिशु विद्यालय आर0 ब्लॉक, पटना–01 में पढ़ते है। इस संबंध में प्रधानाध्यापिका सरस्वती शिशु विद्यालय, आर0 ब्लॉक, पटना–01 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना सदर को प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न।

(ii) आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या–30 की आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती लालती देवी द्वारा संधारित "गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का सर्वे प्रपत्र–2022" पंजी में क्रमांक–59 एवं 60 पर श्रीमती श्वेता रंजन के प्रस्तावक श्री राजन कुमार एवं शिल्पी देवी के दो बच्चों का नाम अंकित है।

(1) आदित्य कुमार – जन्मतिथि–14.07.2017

(2) डिम्पल कुमारी– जन्मतिथि–29.01.2021

सरस्वती शिशु विद्यालय, आर0 ब्लॉक, पटना तथा आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या–30 पर अंकित श्री राजन कुमार के बच्चों के विवरण का यदि अवलोकन किया जाए, तो श्री कुमार के तीन बच्चों का नाम पता चलता हैः–

(1) आँचल कुमारी – जन्मतिथि–13.12.2014 (विद्यालय में)

(2) आदित्य कुमार – जन्मतिथि–04.07.2017 (विद्यालय में)

– 14.07.2017 ( आँगनबाड़ी में)

(2) डिम्पल कुमारी – जन्मतिथि–29.01.2021

(iii) इसके अतिरिक्त जाँच के क्रम में श्री राजन कुमार की पत्नी का छायाचित्र भी प्राप्त है, जिसमें उन्हें तीन बच्चों के साथ देखा जा सकता है (छायाप्रति संलग्न)।

(iv) जाँच के क्रम में कमला नेहरू नगर के निवासियों का लिखित बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि राजन कुमार के तीन बच्चे है।

उक्त सभी तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीमती श्वेता रंजन के प्रस्तावक श्री राजन कुमार के तीन बच्चे आँचल कुमारी, आदित्य कुमार एवं डिंपल कुमारी है।"

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना का प्रतिवेदन तथा

संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती श्वेता रंजन (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–21, नगर निगम, पटना) के प्रस्तावक श्री राजन कुमार को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत आयोग के पत्रांक–3853, दिनांक–14.09.2022 के आलोक में उन्हें (प्रतिवादी श्रीमती श्वेता रंजन को) पदमुक्त करने से जुड़ा है"

आयोग द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के लिखित तर्क का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 के तहत **निर्वाचन के उपरांत** मामला केवल निर्वाचित अभ्यर्थियों के विरूद्ध उनके स्वयं के अयोग्यता के लिए लाया जा सकता है, न कि समर्थक अथवा प्रस्तावक के अयोग्यता से संबंधित मामलो के लिए।

(क) विचाराधीन वाद में वादी द्वारा प्रस्तावक की अयोग्यता के कारण चुनाव में विजयी अभ्यर्थी के चुनाव को रद्द करने का अनुरोध वादी द्वारा किया गया है, परन्तु वादी का अनुरोध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–479(1)(घ)(i) से आच्छादित है, इसके लिए उक्त अधिनियम की धारा–476 के तहत विधिक उपाय "चुनाव याचिका" का प्रावधान उल्लेखित है। चूँकि "चुनाव याचिका" पर सुनवाई की अधिकारिता आयोग में निहित नहीं है, अतः वादी के अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु वादी सक्षम न्यायालय में वाद लाने हेतु स्वतंत्र है।

**इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।**

**सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।**

**अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।**

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
29.07.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
29.07.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–11/2023 3002 पटना, दिनांक– 29.7.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना**/ उप निर्वाचन पदाधिकरी, **पटना** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकरी, **पटना** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

29/7/24
विशेष कार्य पदाधिकारी